M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / **PPE - 54** / 2025–26 / 2782

दिनांक : 16.10.2025 17

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),
————————

विषय : निगम द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए जारी आर.सी.ओ. दिनांक 19.08.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 के लिए ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER (PPE) के व्यवसाय हेतु लिए ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित कर दरें चाही गयी थी। आर.सी.ओ. में भाग लेते हुए जिन निर्माताओं द्वारा निगम के साथ एल–1 दरों पर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S PADGILWAR AGRO INDUSTRIES, (BRAND : PADGILWAR)
OPP. AGYARAM DEVI MANDIR, BUS STAND ROAD, GANESHPETH, NAGPUR - 440018
CONTECT PERSON : SHRI TUSHAR PADGILWAR MOBILE : 9823052421

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 5%	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST @ 5%	FINAL SELLING PRICE
01	Battery Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V - 12AH) Tank Cap. 16 to 20 Ltr.	2300.00	115.00	**2415.00**	2300.00	115.00	120.75	**2535.75**
02	Battery Cum Hand Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V-12AH) Tank Cap.16 to 20 Ltr.	2475.00	123.75	**2598.75**	2475.00	123.75	129.94	**2728.69**
03	DOUBLE MOTOR Battery Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V-14AH) Tank Cap.16 to 20 Ltr.	3214.00	160.70	**3374.70**	3214.00	160.70	168.74	**3543.44**
04	TRIPLE MOTOR Battery Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V-16AH) Tank Cap. 20 to 25 Ltr.	4655.00	232.75	**4887.75**	4655.00	232.75	244.39	**5132.14**
05	Tested Power Operated Plant Protection Equipment Fitted with 2 Stroke Engine Tank Capacity 20-25 Ltr	6875.00	343.75	**7218.75**	6875.00	343.75	360.94	**7579.69**
06	Tested Power Operated Plant Protection Equipment Fitted with 4 Stroke Engine Tank Capacity 20-25 Ltr	8200.00	410.00	**8610.00**	8200.00	410.00	430.50	**9040.50**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरें एवं प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 17.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 17.10.2025 से 16.01.2026) तक लागू रहेंगी।

शासकीय अनुदान : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं होगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ✱ BHOPAL ✱

----- 2

3. **आदेश प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार निम्नानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे :-

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

4. **सामग्री की प्रदायगी** : प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) जिला प्रबंधक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि क्रेता विभाग को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर किया जावे।

(ब) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(ई) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **सामग्री की गुणवत्ता** :

(अ) आई.एस.आई. मार्क स्प्रेयर के संबंध में जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त मात्रा पर आई.एस.आई. मार्क होने संबंधी एम्ब्रोसमेंट यंत्र पर है तथा पैकिंग पर आई.एस.आई. मार्क संबंधी संपूर्ण सूचना अंकित की गयी है। टेस्टेड स्प्रेयर के संबंध में जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदाय किये जा रहे यंत्र निगम द्वारा अनुमोदित मेक-मॉडल के ही हों। किसी भी भ्रम की स्थिति में तत्काल मुख्यालय को सूचित किया जावे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

----- 3

(ब) प्रदायकों द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के यंत्र प्रदाय करना आवश्यक है। परिवहन के दौरान यदि यंत्र में किसी प्रकार की टूट फूट होती है तो जिला प्रबन्धक यंत्र प्राप्त करने से पूर्व ट्रान्सपोर्टर से डेमेज प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये वांछित सुधार हेतु प्रदायक को सूचित करेगें। यंत्र वांछित गुणवत्ता के न होने की दशा में कन्साईनमेंट को अमान्य करते हुये प्रदायक को वापिस किया जावेगा, जिसका परिवहन व्यय प्रदायक द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर प्रदायक के विरूद्ध आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

6. <u>प्राईज़ फार क्लॉस</u> – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. <u>भुगतान</u> : (अ) प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ एवं निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **<u>"भुगतान पश्चात् भुगतान"</u>** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा विधिवत रूप से निगम मार्जिन एवं समस्त कर कटौती उपरांत किया जावेगा।

(ब) यदि सामग्री का प्रदाय शासकीय विभागों की विभिन्न अनुदान योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कृषक अंशराशि एवं अनुदान राशि प्राप्त होने के उपरांत ही भुगतान किया जावेगा। मात्र अनुदान राशि प्राप्त होने पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के उपरांत ही किया जावे।

8. <u>अनुबंध</u> : निगम द्वारा निर्माता कम्पनी के साथ जो अनुबंध निष्पादित किया गया है के आधार पर निगम निर्माता कम्पनी से प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने हेतु अधिकृत है एवं प्राप्त कन्साईनमेंट का विधिवत सेम्पल लेते हुये क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया भारत सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी संस्था द्वारा कराया जा सकता है। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

9. **<u>समय सीमा में सामग्री प्रदाय न करने पर शास्ति (पेनाल्टी)</u>** – प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी :–

क्र.	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए उनके द्वारा किये गये अनुबंध को बरखास्त करते हुए 1 से 5 वर्ष के लिए कालीसूची (ब्लेकलिस्ट) किया जावेगा।

10. <u>सामग्री की वारण्टी</u> : प्रदाय किये जा रहे सभी यंत्रों पर वारण्टी प्रदाय दिनांक से 1 वर्ष मेन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट पर रहेगी। वारण्टी अवधि में रिपेयर, मेन्टेनेंस का कार्य कम्पनी द्वारा शिकायत प्राप्त होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर किया जावेगा।

<u>दरों की एक मात्र मान्यता</u> : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

----- 4

13. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा ISI MARKED/ TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER (PPE) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 19.08.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER (PPE) की उपरोक्त मदों के लिए जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी ।

प्रबंधक (विपणन)

2783
17-10-25

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. निज सहायक, संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, अरेरा हिल्स, भोपाल।
6. निज सहायक, आयुक्त, रेशम विभाग, प्रथम तल – सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मप्र. वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड़ नम्बर–2, भोपाल।
8. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. कम्प्यूटर कक्ष, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. **M/S PADGILWAR AGRO INDUSTRIES,** OPP. AGYARAM DEVI MANDIR, BUS STAND ROAD, GANESHPETH, NAGPUR - 440018 की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि सामग्री प्रदाय किये जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा की वह उपरोक्त समस्त शर्तो से सहमत है। सामग्री के प्रदाय से संबंधित देयक निगम के जिला प्रबंधक को जारी करते समय देयक पर इस आशय का उल्लेख अवश्य किया जावे की देयक के विरूद्ध प्रदाय की जा रही सामग्री निगम के आर.सी.ओ. के अनुसार निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता की है। प्रदायक का दायित्व होगा कि अनुबंध अवधि में सामग्री से संबंधित **BIS** लायसेंस वैध रहे, यह सुनिश्चित किया जावे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

प्रबंधक (विपणन)

M. P. S... Ltd. ★BHOPAL★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / **PPE - 54** / 2025–26 / 2778 दिनांक : ~~16~~.10.2025 17

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : निगम द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए जारी आर.सी.ओ. दिनांक 19.08.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 के लिए ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER (PPE) के व्यवसाय हेतु लिए ऑन–लाईन'' रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित कर दरें चाही गयी थी। आर.सी.ओ. में भाग लेते हुए जिन निर्माताओं द्वारा निगम के साथ एल–1 दरों पर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S MASAND AGRITECH PVT. LTD. (BRAND : MASAND)
13, SHASTRI MARKET, M.G. ROAD, INDORE - 452007 (MP)
MR. RITESH MASAND : 9753188500
E-MAIL : masandagritechpvtltd@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ ~~12%~~ 5%	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST @ ~~12%~~ 5%	FINAL SELLING PRICE
01	Battery Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V - 8AH) Tank Cap. 16 to 20 Ltr.	2100.00	105.00	**2205.00**	2100.00	105.00	110.25	**2315.25**
02	Battery Cum Hand Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V - 8AH) Tank Cap. 16 to 20 Ltr.	2225.00	111.25	**2336.25**	2225.00	111.25	116.81	**2453.06**
03	Battery Cum Hand Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V-12AH) Tank Cap.16 to 20 Ltr.	2475.00	123.75	**2598.75**	2475.00	123.75	129.94	**2728.69**
04	DOUBLE MOTOR Battery Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V-14AH) Tank Cap.16 to 20 Ltr.	3214.00	160.70	**3374.70**	3214.00	160.70	168.74	**3543.44**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरें एवं प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 17.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 17.10.2025 से 16.01.2026) तक लागू रहेंगी।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं होगी।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

3. **आदेश प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार निम्नानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे :–

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

4. **सामग्री की प्रदायगी** : प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) जिला प्रबंधक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि क्रेता विभाग को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर किया जावे।

(ब) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(ई) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **सामग्री की गुणवत्ता** :

(अ) आई.एस.आई. मार्क स्प्रेयर के संबंध में जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त मात्रा पर आई.एस.आई. मार्क होने संबंधी एम्ब्रोसमेंट यंत्र पर है तथा पैकिंग पर आई.एस.आई. मार्क संबंधी संपूर्ण सूचना अंकित की गयी है। टेस्टेड स्प्रेयर के संबंध में जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदाय किये जा रहे यंत्र निगम द्वारा अनुमोदित मेक–मॉडल के ही हों। किसी भी भ्रम की स्थिति में तत्काल मुख्यालय को सूचित किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

----- 3

(ब) प्रदायकों द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के यंत्र प्रदाय करना आवश्यक है। परिवहन के दौरान यदि यंत्र में किसी प्रकार की टूट फूट होती है तो जिला प्रबन्धक यंत्र प्राप्त करने से पूर्व ट्रान्सपोर्टर से डेमेज प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये वांछित सुधार हेतु प्रदायक को सूचित करेंगें। यंत्र वांछित गुणवत्ता के न होने की दशा में कन्साईनमेंट को अमान्य करते हुये प्रदायक को वापिस किया जावेगा, जिसका परिवहन व्यय प्रदायक द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर प्रदायक के विरूद्ध आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

6. **प्राईज फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. **भुगतान** : (अ) प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ एवं निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा विधिवत रूप से निगम मार्जिन एवं समस्त कर कटौती उपरांत किया जावेगा।

(ब) यदि सामग्री का प्रदाय शासकीय विभागों की विभिन्न अनुदान योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कृषक अंशराशि एवं अनुदान राशि प्राप्त होने के उपरांत ही भुगतान किया जावेगा। मात्र अनुदान राशि प्राप्त होने पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के उपरांत ही किया जावे।

8. **अनुबंध** : निगम द्वारा निर्माता कम्पनी के साथ जो अनुबंध निष्पादित किया गया है के आधार पर निगम निर्माता कम्पनी से प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने हेतु अधिकृत है एवं प्राप्त कन्साईनमेंट का विधिवत सेम्पल लेते हुये क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया भारत सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी संस्था द्वारा कराया जा सकता है। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

9. **समय सीमा में सामग्री प्रदाय न करने पर शास्ति (पेनाल्टी)** – प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी :-

कं.	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए उनके द्वारा किये गये अनुबंध को बरखास्त करते हुए 1 से 5 वर्ष के लिए कालीसूची (ब्लैकलिस्ट) किया जावेगा।

10. **सामग्री की वारण्टी** : प्रदाय किये जा रहे सभी यंत्रों पर वारण्टी प्रदाय दिनांक से 1 वर्ष मेन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट पर रहेगी। वारण्टी अवधि में रिपेयर, मेन्टेनेंस का कार्य कम्पनी द्वारा शिकायत प्राप्त होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर किया जावेगा।

दरों की एक मात्र मान्यता : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

---4

13. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER (PPE) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 19.08.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER (PPE) की उपरोक्त मदों के लिए जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी ।

प्रबंधक (विपणन)

2779
17-10-25

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंसकरण विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. निज सहायक, संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, अरेरा हिल्स, भोपाल।
6. निज सहायक, आयुक्त, रेशम विभाग, प्रथम तल – सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मप्र. वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड़ नम्बर–2, भोपाल।
8. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. कम्प्यूटर कक्ष, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. **M/S MASAND AGRITECH PVT. LTD.** 13, SHASTRI MARKET, M.G. ROAD, INDORE - 452007 (MP) की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि सामग्री प्रदाय किये जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा की वह उपरोक्त समस्त शर्तो से सहमत है। सामग्री के प्रदाय से संबंधित देयक निगम के जिला प्रबंधक को जारी करते समय देयक पर इस आशय का उल्लेख अवश्य किया जावे की देयक के विरूद्ध प्रदाय की जा रही सामग्री निगम के आर.सी.ओ. के अनुसार निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता की है। प्रदायक का दायित्व होगा कि अनुबंध अवधि में सामग्री से संबंधित **BIS** लायसेंस वैध रहे, यह सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ - 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / **PPE - 54** / 2025–26 / 2780 दिनांक : 16.10.2025 17

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : निगम द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए जारी आर.सी.ओ. दिनांक 19.08.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 के लिए ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER (PPE) के व्यवसाय हेतु लिए ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित कर दरें चाही गयी थी। आर.सी.ओ. में भाग लेते हुए जिन निर्माताओं द्वारा निगम के साथ एल–1 दरों पर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S NAWKAR AGRO PLAST (BRAND : VISHWAS)
116, ONKAR MARG, GANDHI NAGAR, INDORE (MP) - 453112
MR. GUNVANT NAWKAR - 9827239105 MR. SURAJ NAWKAR - 9770088887
E-MAIL : nawkaragro.indore@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ ~~12%~~ 5%	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST @ ~~12%~~ 5%	FINAL SELLING PRICE
01	Battery Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V - 8AH) Tank Cap. 16 to 20 Ltr.	2100.00	105.00	**2205.00**	2100.00	105.00	110.25	**2315.25**
02	Battery Cum Hand Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V - 8AH) Tank Cap. 16 to 20 Ltr.	2225.00	111.25	**2336.25**	2225.00	111.25	116.81	**2453.06**
03	Battery Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V - 12AH) Tank Cap. 16 to 20 Ltr.	2300.00	115.00	**2415.00**	2300.00	115.00	120.75	**2535.75**
04	DOUBLE MOTOR Battery Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V-14AH) Tank Cap.16 to 20 Ltr.	3214.00	160.70	**3374.70**	3214.00	160.70	168.74	**3543.44**
05	DOUBLE MOTOR Battery Cum Hand Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V-14AH) Tank Cap. 16 to 20 Ltr	3400.00	170.00	**3570.00**	3400.00	170.00	178.50	**3748.50**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरें एवं प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 17.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 17.10.2025 से 16.01.2026) तक लागू रहेंगी।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं होगी।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

3. **आदेश प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार निम्नानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे :–

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

4. **<u>सामग्री की प्रदायगी</u>** : प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) जिला प्रबंधक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि क्रेता विभाग को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर किया जावे।

(ब) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(ई) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. <u>सामग्री की गुणवत्ता</u> :

(अ) आई.एस.आई. मार्क स्प्रेयर के संबंध में जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त मात्रा पर आई.एस.आई. मार्क होने संबंधी एम्ब्रोसमेंट यंत्र पर है तथा पैकिंग पर आई.एस.आई. मार्क संबंधी संपूर्ण सूचना अंकित की गयी है। टेस्टेड स्प्रेयर के संबंध में जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदाय किये जा रहे यंत्र निगम द्वारा अनुमोदित मेक–मॉडल के ही हों। किसी भी भ्रम की स्थिति में तत्काल मुख्यालय को सूचित किया जावे।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

----- 3

(ब) प्रदायकों द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के यंत्र प्रदाय करना आवश्यक है। परिवहन के दौरान यदि यंत्र में किसी प्रकार की टूट फूट होती है तो जिला प्रबन्धक यंत्र प्राप्त करने से पूर्व ट्रान्सपोर्टर से डेमेज प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये वांछित सुधार हेतु प्रदायक को सूचित करेगें। यंत्र वांछित गुणवत्ता के न होने की दशा में कन्साईनमेंट को अमान्य करते हुये प्रदायक को वापिस किया जावेगा, जिसका परिवहन व्यय प्रदायक द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर प्रदायक के विरूद्ध आर.सी.ओ. की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

6. **प्राईज़ फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. **भुगतान** : (अ) प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ एवं निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा विधिवत रूप से निगम मार्जिन एवं समस्त कर कटौती उपरांत किया जावेगा।

(ब) यदि सामग्री का प्रदाय शासकीय विभागों की विभिन्न अनुदान योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कृषक अंशराशि एवं अनुदान राशि प्राप्त होने के उपरांत ही भुगतान किया जावेगा। मात्र अनुदान राशि प्राप्त होने पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के उपरांत ही किया जावे।

8. **अनुबंध** : निगम द्वारा निर्माता कम्पनी के साथ जो अनुबंध निष्पादित किया गया है के आधार पर निगम निर्माता कम्पनी से प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने हेतु अधिकृत है एवं प्राप्त कन्साईनमेंट का विधिवत सेम्पल लेते हुये क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया भारत सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी संस्था द्वारा कराया जा सकता है। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

9. **समय सीमा में सामग्री प्रदाय न करने पर शास्ति (पेनाल्टी)** – प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी :–

क्रं.	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए उनके द्वारा किये गये अनुबंध को बरखास्त करते हुए 1 से 5 वर्ष के लिए कालीसूची (ब्लेकलिस्ट) किया जावेगा।

10. **सामग्री की वारण्टी** : प्रदाय किये जा रहे सभी यंत्रों पर वारण्टी प्रदाय दिनांक से 1 वर्ष मेन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट पर रहेगी। वारण्टी अवधि में रिपेयर, मेन्टेनेंस का कार्य कम्पनी द्वारा शिकायत प्राप्त होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर किया जावेगा।

11. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd.

13 **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा ISI MARKED/ TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER (PPE) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 19.08.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER (PPE) की उपरोक्त मदो के लिए जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी ।

प्रबंधक (विपणन)

2781
17-10-25

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंसकरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. निज सहायक, संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, अरेरा हिल्स, भोपाल।
6. निज सहायक, आयुक्त, रेशम विभाग, प्रथम तल – सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मप्र. वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड़ नम्बर–2, भोपाल।
8. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. कम्प्यूटर कक्ष, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. **M/S NAWKAR AGRO PLAST** 116, ONKAR MARG, GANDHI NAGAR, INDORE (MP) - 453112 की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि सामग्री प्रदाय किये जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा की वह उपरोक्त समस्त शर्तो से सहमत है। सामग्री के प्रदाय से संबंधित देयक निगम के जिला प्रबंधक को जारी करते समय देयक पर इस आशय का उल्लेख अवश्य किया जावे की देयक के विरूद्ध प्रदाय की जा रही सामग्री निगम के आर.सी.ओ. के अनुसार निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता की है। प्रदायक का दायित्व होगा कि अनुबंध अवधि में सामग्री से संबंधित **BIS** लायसेंस वैध रहे, यह सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / **PPE - 54** / 2025–26 / 2911 दिनांक : 31.10.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : निगम द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए जारी आर.सी.ओ. दिनांक 19.08.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 के लिए ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER (PPE) के व्यवसाय हेतु लिए ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित कर दरें चाही गयी थी। आर.सी.ओ. में भाग लेते हुए जिन निर्माताओं द्वारा निगम के साथ एल–1 दरों पर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S NEPTUNE PACKAGING PVT. LTD. (BRAND – NAPTUNE)
REG. OFFICE : 8, MOHAN NAGAR, INDORE - 452001 (MP)
SALES OFFICE : 19/1 NEW AGRAWAL NAGAR, INDORE - 452001
MR. RAVINDRA GUPTA : 9827030507 E-MAIL : info@neptunesprayers.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 5%	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST @ 5%	FINAL SELLING PRICE
01	Hand Operated Knapsack Sprayer Piston Type, FRP)/HDPE Tank With Capacity -16 Ltr. Pump Cylinder- Plastic with Brass lining (Pump Assembly Inside Tank) IS : 3906 : 1995	1130.00	56.50	**1186.50**	1130.00	56.50	59.33	**1245.83**
02	Hand Operated Knapsack Sprayer Piston Type FRP)/HDPE Tank With Capacity -16 Ltr. Pump Cylinder- Plastic with Brass lining (Pump Assembly Outside Tank) IS : 3906 : 1995	1365.00	68.25	**1433.25**	1365.00	68.25	71.66	**1504.91**
03	Hand Operated Knapsack Sprayer Piston Type,FRP)/HDPE Tank With Capacity -16 Ltr., Pump Cylinder- Brass (Pump Assembly Inside Tank) IS : 3906 : 1995	1385.00	69.25	**1454.25**	1385.00	69.25	72.71	**1526.96**
04	Battery Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V - 8AH) Tank Cap. 16 to 20 Ltr.	2100.00	105.00	**2205.00**	2100.00	105.00	110.25	**2315.25**
05	Battery Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V - 12AH) Tank Cap. 16 to 20 Ltr.	2300.00	115.00	**2415.00**	2300.00	115.00	120.75	**2535.75**
06	Battery Cum Hand Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V - 8AH) Tank Cap. 16 to 20 Ltr.	2225.00	111.25	**2336.25**	2225.00	111.25	116.81	**2453.06**
07	Battery Cum Hand Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V-12AH) Tank Cap.16 to 20 Ltr.	2475.00	123.75	**2598.75**	2475.00	123.75	129.94	**2728.69**
08	Tested Power Operated Plant Protection Equipment Fitted with 2 Stroke Engine Tank Capacity 16-20 Ltr	6400.00	320.00	**6720.00**	6400.00	320.00	336.00	**7056.00**
09	Tested Power Operated Plant Protection Equipment Fitted with 4 Stroke Engine Tank Capacity 16-20 Ltr	7695.00	384.75	**8079.75**	7695.00	384.75	403.99	**8483.74**

----- 2

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरें एवं प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी. ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 17.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 17.10.2025 से 16.01.2026) तक लागू रहेंगी।

2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नही होगी।

3. **आदेश प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार निम्नानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे :–

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

4. **सामग्री की प्रदायगी** : प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) जिला प्रबंधक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि क्रेता विभाग को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर किया जावे।

(ब) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(ई) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

----- 3

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

5. **सामग्री की गुणवत्ता** :

(अ) आई.एस.आई. मार्क स्प्रेयर के संबंध में जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त मात्रा पर आई.एस.आई. मार्क होने संबंधी एम्ब्रोसमेंट यंत्र पर है तथा पैकिंग पर आई.एस.आई. मार्क संबंधी संपूर्ण सूचना अंकित की गयी है। टेस्टेड स्प्रेयर के संबंध में जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदाय किये जा रहे यंत्र निगम द्वारा अनुमोदित मेक–मॉडल के ही हों। किसी भी भ्रम की स्थिति में तत्काल मुख्यालय को सूचित किया जावे।

(ब) प्रदायकों द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के यंत्र प्रदाय करना आवश्यक है। परिवहन के दौरान यदि यंत्र में किसी प्रकार की टूट फूट होती है तो जिला प्रबन्धक यंत्र प्राप्त करने से पूर्व ट्रान्सपोर्टर से डेमेज प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये वांछित सुधार हेतु प्रदायक को सूचित करेगें। यंत्र वांछित गुणवत्ता के न होने की दशा में कन्साईनमेंट को अमान्य करते हुये प्रदायक को वापिस किया जावेगा, जिसका परिवहन व्यय प्रदायक द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर प्रदायक के विरूद्ध आर.सी.ओ. की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

6. **प्राईज़ फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. **भुगतान** : (अ) प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ एवं निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा विधिवत रूप से निगम मार्जिन एवं समस्त कर कटौती उपरांत किया जावेगा।

(ब) यदि सामग्री का प्रदाय शासकीय विभागों की विभिन्न अनुदान योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कृषक अंशराशि एवं अनुदान राशि प्राप्त होने के उपरांत ही भुगतान किया जावेगा। मात्र अनुदान राशि प्राप्त होने पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के उपरांत ही किया जावे।

8. **अनुबंध** : निगम द्वारा निर्माता कम्पनी के साथ जो अनुबंध निष्पादित किया गया है के आधार पर निगम निर्माता कम्पनी से प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने हेतु अधिकृत है एवं प्राप्त कन्साईनमेंट का विधिवत सेम्पल लेते हुये क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया भारत सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी संस्था द्वारा कराया जा सकता है। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

9. **समय सीमा में सामग्री प्रदाय न करने पर शास्ति (पेनाल्टी)** – प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी :–

क्रं.	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए उनके द्वारा किये गये अनुबंध को बरखास्त करते हुए 1 से 5 वर्ष के लिए कालीसूची (ब्लेकलिस्ट) किया जावेगा।

----- 4

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

10. **सामग्री की वारण्टी** : प्रदाय किये जा रहे सभी यंत्रों पर वारण्टी प्रदाय दिनांक से 1 वर्ष मेन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट पर रहेगी। वारण्टी अवधि में रिपेयर, मेन्टेनेंस का कार्य कम्पनी द्वारा शिकायत प्राप्त होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर किया जावेगा।

11. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

13. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER (PPE) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 19.08.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER (PPE) की उपरोक्त मदों के लिए जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी ।

प्रबंधक (विपणन)

2912
31-10-25

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंसकरण विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. निज सहायक, संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, अरेरा हिल्स, भोपाल।
6. निज सहायक, आयुक्त, रेशम विभाग, प्रथम तल – सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मप्र. वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड़ नम्बर–2, भोपाल।
8. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. कम्प्यूटर कक्ष, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. **M/S NEPTUNE PACKAGING PVT. LTD.** REG. OFFICE : 8, MOHAN NAGAR, INDORE - 452001 (MP) की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि सामग्री प्रदाय किये जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा की वह उपरोक्त समस्त शर्तो से सहमत है। सामग्री के प्रदाय से संबंधित देयक निगम के जिला प्रबंधक को जारी करते समय देयक पर इस आशय का उल्लेख अवश्य किया जावे की देयक के विरूद्ध प्रदाय की जा रही सामग्री निगम के आर.सी.ओ. के अनुसार निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता की है। प्रदायक का दायित्व होगा कि अनुबंध अवधि में सामग्री से संबंधित **BIS** लायसेंस वैध रहे, यह सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या / विपणन / PPE - 54 / 2025–26 / 2909 दिनांक : 31.10.2025

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : निगम द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए जारी आर.सी.ओ. दिनांक 19.08.2025

निगम के माध्यम से वर्ष 2025–26 के लिए ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER (PPE) के व्यवसाय हेतु लिए ऑन–लाईन" रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर आंमत्रित कर दरें चाही गयी थी। आर.सी.ओ. में भाग लेते हुए जिन निर्माताओं द्वारा निगम के साथ एल–1 दरों पर अनुबंध निष्पादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S MASAND AGRO EQPT PVT. LTD. (BRAND : RAHUL)
70 SHASTRI MARKET, INDORE – 452007 - E-MAIL : masandrahul@yahoo.co.in
SHRI RAHUL MASAND, DIRECTOR MOBILE NO. 9893447997,
SHRI SUDHIR SINGH CHOUHAN, AUTH. SIG. - MOBILE : 9753700407

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 5%	TOTAL PUR - CHASE PRICE	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5%	GST @ 5%	FINAL SELLING PRICE
01	Hand Operated Knapsack Sprayer Piston Type, FRP)/HDPE Tank With Capacity -16 Ltr. Pump Cylinder- Plastic with Brass lining (Pump Assembly Inside Tank) IS : 3906 : 1995	1130.00	56.50	**1186.50**	1130.00	56.50	59.33	**1245.83**
02	Hand Operated Knapsack Sprayer Piston Type FRP)/HDPE Tank With Capacity -16 Ltr. Pump Cylinder- Plastic with Brass lining (Pump Assembly Outside Tank) IS : 3906 : 1995	1365.00	68.25	**1433.25**	1365.00	68.25	71.66	**1504.91**
03	Hand Operated Knapsack Sprayer Piston Type,FRP)/HDPE Tank With Capacity -16 Ltr., Pump Cylinder- Brass (Pump Assembly Inside Tank) IS : 3906 : 1995	1385.00	69.25	**1454.25**	1385.00	69.25	72.71	**1526.96**
04	Battery Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V - 8AH) Tank Cap. 16 to 20 Ltr.	2100.00	105.00	**2205.00**	2100.00	105.00	110.25	**2315.25**
05	Battery Cum Hand Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V - 8AH) Tank Cap. 16 to 20 Ltr.	2225.00	111.25	**2336.25**	2225.00	111.25	116.81	**2453.06**
06	DOUBLE MOTOR Battery Operated Knapsack Sprayer (TESTED) (Battery Power 12V-14AH) Tank Cap.16 to 20 Ltr.	3214.00	160.70	**3374.70**	3214.00	160.70	168.74	**3543.44**

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. **दरें एवं प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन / निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक 17.10.2025 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 17.10.2025 से 16.01.2026) तक लागू रहेंगी।
2. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं होगी।

----- 2

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

3. **आदेश प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार निम्नानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे :–

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है।

(द) सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी के चयन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकृत रहेंगे एवं प्रदाय आदेश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

4. **सामग्री की प्रदायगी** : प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) जिला प्रबंधक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि केता विभाग को सामग्री का प्रदाय निगम के चालान पर किया जावे।

(ब) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(स) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(द) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

(ई) सामग्री की गुणवता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **सामग्री की गुणवत्ता** :

(अ) आई.एस.आई. मार्क स्प्रेयर के संबंध में जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त मात्रा पर आई.एस.आई. मार्क होने संबंधी एम्ब्रोसमेंट यंत्र पर है तथा पैकिंग पर आई.एस.आई. मार्क संबंधी संपूर्ण सूचना अंकित की गयी है। टेस्टेड स्प्रेयर के संबंध में जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदाय किये जा रहे यंत्र निगम द्वारा अनुमोदित मेक–मॉडल के ही हों। किसी भी भ्रम की स्थिति में तत्काल मुख्यालय को सूचित किया जावे।

----- 3

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

(ब) प्रदायकों द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के यंत्र प्रदाय करना आवश्यक है। परिवहन के दौरान यदि यंत्र में किसी प्रकार की टूट फूट होती है तो जिला प्रबन्धक यंत्र प्राप्त करने से पूर्व ट्रान्सपोर्टर से डेमेज प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये वांछित सुधार हेतु प्रदायक को सूचित करेगें। यंत्र वांछित गुणवत्ता के न होने की दशा में कन्साईनमेंट को अमान्य करते हुये प्रदायक को वापिस किया जावेगा, जिसका परिवहन व्यय प्रदायक द्वारा वहन किया जावेगा।

(स) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर प्रदायक के विरूद्ध आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

6. **प्राईज फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था / उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

7. **भुगतान** : (अ) प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग / केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ एवं निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा विधिवत रूप से निगम मार्जिन एवं समस्त कर कटौती उपरांत किया जावेगा।

(ब) यदि सामग्री का प्रदाय शासकीय विभागों की विभिन्न अनुदान योजनाओं में अनुदान पर प्रदाय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कृषक अंशराशि एवं अनुदान राशि प्राप्त होने के उपरांत ही भुगतान किया जावेगा। मात्र अनुदान राशि प्राप्त होने पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक अंश राशि प्राप्त होने के उपरांत ही किया जावे।

8. **अनुबंध** : निगम द्वारा निर्माता कम्पनी के साथ जो अनुबंध निष्पादित किया गया है के आधार पर निगम निर्माता कम्पनी से प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने हेतु अधिकृत है एवं प्राप्त कन्साईनमेंट का विधिवत सेम्पल लेते हुये क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया भारत सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी संस्था द्वारा कराया जा सकता है। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

9. **समय सीमा में सामग्री प्रदाय न करने पर शास्ति (पेनाल्टी)** – प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी :–

क्र.	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए उनके द्वारा किये गये अनुबंध को बरखास्त करते हुए 1 से 5 वर्ष के लिए कालीसूची (ब्लेकलिस्ट) किया जावेगा।

10. **सामग्री की वारण्टी** : प्रदाय किये जा रहे सभी यंत्रों पर वारण्टी प्रदाय दिनांक से 1 वर्ष मेन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट पर रहेगी। वारण्टी अवधि में रिपेयर, मेन्टेनेंस का कार्य कम्पनी द्वारा शिकायत प्राप्त होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर किया जावेगा।

11. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★

13. **अन्य नियम एवं शर्ते** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते मुख्यालय द्वारा ISI MARKED/ TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER (PPE) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 19.08.2025 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से ISI MARKED/TESTED PLANT PROTECTION EQUIPMENTS, ISI MARKED FERTILIZER BROADCASTER & HAND ROTARY DUSTER (PPE) की उपरोक्त मदों के लिए जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी ।

प्रबंधक (विपणन)

2910
31-10-25

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंसकरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. निज सहायक, संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, अरेरा हिल्स, भोपाल।
6. निज सहायक, आयुक्त, रेशम विभाग, प्रथम तल – सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मप्र. वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड़ नम्बर–2, भोपाल।
8. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. कम्प्यूटर कक्ष, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. **M/S MASAND AGRO EQPT PVT. LTD.,** 70 SHASTRI MARKET, INDORE – 452007 की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि सामग्री प्रदाय किये जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा की वह उपरोक्त समस्त शर्तो से सहमत है। सामग्री के प्रदाय से संबंधित देयक निगम के जिला प्रबंधक को जारी करते समय देयक पर इस आशय का उल्लेख अवश्य किया जावे की देयक के विरूद्ध प्रदाय की जा रही सामग्री निगम के आर.सी.ओ. के अनुसार निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता की है। प्रदायक का दायित्व होगा कि अनुबंध अवधि में सामग्री से संबंधित **BIS** लायसेंस वैध रहे, यह सुनिश्चित किया जावे।

प्रबंधक (विपणन)

M. P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★BHOPAL★